भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 22]	दिल्ली, जून 26जुलाई 2, 2009, बृहस्पतिवार/आषाढ़ 5–आषाढ़ 11, 1931	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 77, 82]
No. 22]	DELHI, JUNE 26-JULY 2, 2009, THUBSDAY/ASADHA 5-ASADHA 11, 1931	[N.C.T.D. No. 77, 82]

भाग ---IV

PART -IV

भाग-I में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के विभागों की अधिसूचनाएं Notifications of Departments of the Government of the National Capital Territory of Delhi other than Notifications included in Part-I

> राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कार्यालय मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकरण

आदेश

दिल्ली, 22 जून, 2009

सं. फा. 10/(689)/मु, स.(मुख्य)/स. शु,/08/5656.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री भारत संरचना वित्त कम्पनी लि., 1201-1207, नौरंग हाउस, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 500,00,00,000 मूल्य के अनसेक्योरड रिडीमेबल नन-कनवरटीबल टैक्सेबल बोण्डस जो कि (प्रोमोजरी नोट) के रूप में है जिनकी पृथक संख्या 01 से 5000 (8.10% आईआईएफसीएल 2024 सीरीज-I) 2009-10 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLING REVENUE AUTHORITY

मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

ORDERS

रुपये 23,20,000(रुपये तेइस लाख बीस हजार) केवल के समेकित

Delhi, the 22nd June, 2009

No. F. 10/(689)/COS(HQ)/Cons.Duty/08/5656.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899, (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. India Infrastructure Finance Company Limited, 1201-1207, Naurang House, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 23,20,000 (Rs. Twenty

PART IV

Three Lac Twenty thousand) only on the aggregate value of Rs. 500,00,000 for Unsecured redeemable Non-Convertible taxable 8.10% IIFCL 2024 (Series-I) 2009-10 bonds in the nature of promissory note with distinctive Nos. 01 to 5000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10/(688)/पु. स.(मुख्य)/स. शु,/08/5657.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री पंजाब नेशनल बैंक, 7, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 500,00,00,000 मूल्य के अनसेक्योरड नन-कनवरटेबल सर्बोडिनेटेड परपेचुअल टियर 2 बोण्ड जो कि (प्रोमीजरी नोट) के रूप में है एवं जिनकी पृथक संख्या 1 से 5000 (सिरीज-VIII) है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 50,00,000 (रुपये पचास लाख) के समेंकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

No. F. 10/(688)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/ 5657.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Punjab National Bank, 7, Bhikaji Cama Place, New Delh-110066, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 50,00,000 (Rs. Fifty Lac) only on the aggregate value of Rs. 500,00,000,000 for unsecured non-convertible subordinated perpetual upper tier II bonds issue (Series VIII) in the nature of promissory note with distinctive Nos. 1 to 5000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10/(687)/मु. स.(मुख्य)/स. शु,/08/5658.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री पंजाब नेशनल बैंक, 7, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 1000,00,00,000 मूल्य के अनसेक्योरड नन-कनवरटेबल सर्बोडिनेटेड परपेचुअल टियर II बोण्ड जो कि (प्रोमीजरी नोट) के रूप में है एवं जिनकी पृथक संख्या 1 से 10000 (सिरीज-VII) है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 91,00,000 (रुपये इक्यानवे लाख) के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

No. F. 10/(687)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/ 5658.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Rever Authority, Delhi hereby directs that M/s. Punjab National Bank, 7, Bhikaji Cama Place, New Delh-110066, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 91,00,000 (Rs. Ninety One Lac) only on the aggregate value of Rs. 1000,00,00,000 for unsecured non-convertible subordinated perpetual upper tier II bonds issue (Series VII) in the nature of promissory note with distinctive Nos. 1 to 10000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10/(691)/मु. स.(मुख्य)/स. शु,/08/5659.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री भारत संरचना वित्त कम्पनी लि. 1201-1207, नौरंग हाइस, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 500,00,000 मूल्य के अनसेक्योरड रिडीमेबल नन-कनवरटेबल टैक्सेबल बोण्डस जो कि (प्रोमीजरी नोट) के रूप में है जिनकी पृथक संख्या 1 से 5000 (7.90% आईआईएफसीएल 2024 सीरीज-I, 2009-10) है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 10,00 000 (रुपये दस लाख) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

No. F. 10/(691)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/ 5659.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. India Infrastructure Finance Company Limited, 1201-1207, Naurang House, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 10,00,000 (Rs. Ten Lac) only on the aggregate value of Rs. 500,00,00,000 for unsecured redeemable non-convertible taxable 7.90% II FCL 2024 (Series-I) 2009-10 bonds in the nature of promissory note with distinctive Nos. 01 to 5000 to be issued by the said company.

दिल्ली, 23 जून, 2009

सं. फा. 10/(706)/मु. स.(मुख्य)/स. शु,/08/5660. गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री डीई डायमण्ड इलेक्ट्रिक इंडिया प्रा. लि., सी-4/54, सफदरजंग डवलपमेंट एरिया, नई दिल्ली-110016, द्वारा जारी किए

131

जाने वाले रुपये 12,25,80,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 9049031 से 21307030 है, पर लगने वाले मुद्रांक क रुपये 1,22,580 (रुपये एक लाख बाईस हजार पांच सौ अस्सी) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 23rd June, 2009

No. F. 10/(706)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/5660.---In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. DE Diamond Electric India Private Limited, C-4/54, Safdarjung Development Area, New Delhi-110016 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1,22,580 (Rs. One Lac Twenty Two Thousand Five Hundred Eighty) only on the aggregate value of shares Rs. 12,25,80,000 for equity Share certificates with distinctive Nos. 90,49,031 to 2,13,07,030 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (732)/मु. स.(मुख्या.)/स. शु, /08/5661. गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स जर्मन बिल्डिंग टैकनोलाजिज प्रा. लि., 1211, चिरन्जीव टावर, 43, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 5,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1 से 50000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 500 (रुपये पांच सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

No. F. 10 (732)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/5661.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. German Building Technologies Private Limited, 1211, Chiranjiv Tower, 43, Nehru Place, New Delhi-110019 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 500 (Rs. Five Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 5,00,000 for equity Share certificates with distinctive Nos. 1 to 50000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (716)/मु. स.(मुख्या.)/स. शु./08/5662.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स मेगा बिल्डहोम प्रा. लि., डी-41, दूसरी मॉजिल, डिफेन्स कालोनी, नई दिल्ली-110024, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 25,34,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1010001 से 2023600 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 2,53,400 (रुपये दो लाख तिरपन हजार चार सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

No. F. 10 (716)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/5662.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Mega Buildhome Private Limited, D-41, 2nd Floor, Defence Colony, New Delhi-110024 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 2,53,400 (Rs. Two Lac Fifty Three Thousand Four Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 25,34,00,000 for equity Share certificates with distinctive Nos. 1010001 to 2023600 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (680)/मु. स.(मुख्या.)/स. शु./08/5663.--गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स टेरेक्स इंडिया प्रा. लि., सूट नं. 1709-1712, 17वीं मंजिल, नारायण मंजिल, 23 बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 19,52,75,630 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 26154582 से 45682144 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 1,95,276 (रुपये एक लाख पचानवे हजार दो सौ छिहत्तर) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

No. F. 10 (680)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/5663.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Terex India Private Limited, Suite No. 1709-1712, 17th Floor, Narain Manzil, 23, Barakhamba Road, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1,95,276 (Rs.One Lac Ninety Five Thousand Two Hundred Seventy Six) only on the aggregate value of shares of Rs. 19,52,75,630 for equity Share certificates with distinctive Nos. 26154582 to 45682144 to be issued by the said company. 132

सं. फा. 10 (670)/मु. स.(मुख्या.)/स. शु,/08/5664.--गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स रियो डोसे (इंडिया) प्रा. लि., ब्लाक बी-1, प्लॉट नं. एफ-2, मोहन कोपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट, मथुरा रोड, नई दिल्ली द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 63,57,040 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 28,51,625 से 34,87,328 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 6,358 (रुपये छ: हजार तीन सौ अटठावन) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10 (670)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/5664.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Rio Doce (India) Private Limited, Block B-1, Plot No. F-2, Mohan Cooperative Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 6,358 (Rs. Six Thousand Three Hundred Fifty Eight) only on the aggregate value of shares Rs. 63,57,040 for equity Share of certificates with distinctive Nos. 28,51,625 to 34,87,328 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (730)/मु. स.(मुख्या.)/स. शु,/08/5670.--गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स ट्रांसटेक ग्रीन पावर प्रा. लि., डी-28, साउथ एक्सटेशन, पार्ट-1, नई दिल्ली-110049, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 9,01,94,190 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10001 से 30,16,473 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 90,195 (रुपये नब्बे हजार एक सौ पिचानबे) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

No. F. 10 (730)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/5670.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Transtech Green Power Pvt. Ltd., D-28, South Extension, Part-I, New Delhi-110049 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 90,195 (Rs. Ninety Thousand One Hundred Ninety Five) only on the aggregate value of shares Rs. 9,01,94,190 for equity Share certificates with distinctive Nos. 10,001 to 30,16,473 to be issued by the said company. सं. फा. 10 (597)/मु. स.(मुख्या.)/स. शु./08/5673.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्फ अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स मरसर कन्सलटिंग (इंडिया) प्रा. लि., जे–13/44ए, दूसरी मंजिल, राजोरी गार्डन, नई दिल्ली–110027, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 7,63,01,977 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10,78,29 से 18,56,07 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 76,302 (रुपये छियत्तर हजार तीन सौ दो) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

No. F. 10 (597)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/5673.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Mercer Consulting (India) Private Limited, J-13/44A, Second Floor, Rajouri Garden, New Delhi-110027 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 76,302 (Rs. Seventy Six Thousand Three Hundred Two) only on the aggregate value of shares Rs. 7,63,01,977 for equity Share certificates with distinctive Nos. 10,78,29 to 185607 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (658)/मु. स.(मुख्या.)/स. शु,/08/5674.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करंते हए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स एक्सक्यूबी बिजनेस सोलुशन्स प्रा. लि., एस-532, दूसरी मंजिल, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली-110048, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 5,70,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 00001 से 57000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 570 (रुपये पांच सौ सत्तर) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

No. F. 10 (658)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/5674.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. XQB Business Solutions Private Limited, S-532, 2nd Floor, Greater Kailash-I, New Delhi-110048 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 570 of (Rs. Five Hundred Seventy) only on the aggregate value of shares Rs. 5,70,000 for equity Share with distinctive Nos. 00001 to 57,000 to be issued by the said company.

PART IV

PART IV

सं. फा. 10 (729)/मु. स.(मुख्या.)/स. शु./08/5675.— मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री डीई डायमण्ड इलेक्ट्रिक इंडिया प्रा. लि., सी-4/54, सफदरजंग डवलपमेंट एरिया, नई दिल्ली-110016, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 11,39,70,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 21307031 से 32704030 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 1,13,970 (रुपये एक लाख तेरह हजार नौ सौ सत्तर) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

No. F. 10 (729)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/5675.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. DE Diamond Electric India Private Limited, C-4/54, Safdarjung Development Area, New Delhi-110016 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1,13,970 (Rs. One Lac Thirteen Thousand Nine Hundred Seventy) only on the aggregate value of shares Rs. 11,39,70,000 for equity Share certificates with distinctive Nos. 21307031 to 32704030 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (734)/मु. स.(मुख्या.)/स. शु,/08/5676.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री इन्टीग्रेटेड हैल्थ एण्ड हैल्थकेयर सर्विसेज इंडिया प्रा. लि., लोअर ग्राउंड फ्लोर, सी-4/5, सफदरजंग डवलपमेंट एरिया, नई दिल्ली-110016, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 10,04,40,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 9764767 से 10088766 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 1,00,440 (रुपये एक लाख चार सौ चालीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

No. F. 10 (734)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/5676.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Integrated Health and Healthcare Services India Private Limited, Lower Ground Floor, C-4/5, Safdarjung Development Area, New Delhi-110016 shall pay a consolidated stamp duty of

2408 DG/09-2

Rs. 1,00,440 (Rs. One Lac Four Hundred Forty) only on the aggregate value of shares Rs.10,04,40,000 for equity Share certificates with distinctive Nos. 9764767 to 10088766 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (733)/मु. स.(मुख्या.)/स. शु,/08/5677.--गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनाक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री केनन इण्डिया प्रा. लि., 84-ई, सी-6, (ऑफ सेन्ट्रल एवन्यु), सैनिक फार्म, नई दिल्ली-110062, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 100,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 2,40,00,001 से 12,40,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 10,00,000 (रुपये दस लाख) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

No. F. 10 (733)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/5677.---In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Canon India Private Limited, 84-E, C-6, (Off. Central Avenue), Sainik Farms, New Delhi-110062 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 10,00,000 (Rs. Ten Lac) only on the aggregate value of shares Rs. 100,00,000 for equity Share certificates with distinctive Nos. 2,40,00,001 to 12,40,00,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (731)/मु. स.(मुख्या.)/स. शु,/08/5678.-गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री साइनोस्टील इण्डिया रोल्स प्रा. लि., बारहवी मंजिल, इरोज कोरपोरेट टावर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 74,97,430 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 9,35,001 से 16,84,743 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 7,498 (रुपये सात हजार चार सौ अठानबें) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

No. F. 10 (731)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/5678.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Sinosteel India Rolls Private Limited, 12th Floor, Eros Corporate Tower, Nehru Place, New Delhi-110019 shall pay a consolidated stamp duty of Rs.7,4,98 (Rs. Seven Thousand Four Hundred Ninety Eight) only on the aggregate value of shares Rs. 74,97,430 for equity Share certificates with distinctive Nos. 9,35,,001 to 16,84,743 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (738)/मु. स.(मुख्या.)/स. शु./08/5679.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स ग्यूटरमन इंडिया प्रा. लि., 205, सीए चैम्बरस 18/12, डब्ल्यू. इ. ए. करोल बाग, नई दिल्ली-110005, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 5,40,45,700 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10837761 से 16242330 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 54,046 (रुपये चौवन हजार छयालीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

No. F. 10 (738)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/5679.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Guetermann India Private Limited, 205, CA Chambers, 18/12, WEA Kaorl Bagh, New Delhi-110005 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 54,046 (Rs. Fifty Four Thousand Forty Six) only on the aggregate value of shares Rs. 5,40,45,700 for equity Share certificates with distinctive Nos. 10837761 to 16242330 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (736)/मु. स.(मुख्या.)/स. शु./08/5680.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स ट्राईकोन प्रोजेक्ट्स इंडिया लि., एस-2, दूसरी मंजिल, महता टावर्स, स्टार सिटी माल, मयूर विहार, नई दिल्ली-110091, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 7,31,99,210 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 89774860 से 90820562 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 73,200 (रुपये तिहत्तर हजार दो सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

No. F. 10 (736)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/5680.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Tricone Projects India Limited, S-2, Second Floor, Mahatta Towers, Star City Mall, Mayur Vihar, New Delhi-110091 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 73,200 (look. Seventy Three Thousand Two Hundred) only on the aggregate value of shares Rs. 7,31,99,210 for equity Share certificates with distinctive Nos. 89774860 to 90820562 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (726)/मु. स.(मुख्या.)/स. शु./08/5681.--गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स सिंग टेल ग्लोबल (इंडिया) प्रा. लि., पांचवी मंजिल, ए-ब्लाक, स्टेट्मेन हाउस, 148, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 7,56,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 7280001 से 11480000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 75,600 (रुपये पिछहत्तर हजार छ: सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

No. F. 10 (726)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/5681.---In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Sing Tel Global (India) Private Limited, 5th Floor, A Block, Statesman House, 148 Barakhamba Road, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 75,600 (Rs. Seventy Five Thousand Six Hundred) only on the aggregate value of shares Rs. 7,56,00,000 for equity Share certificates with distinctive Nos. 7280001 to 11480000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (735)/मु. स. (मुख्या)/स.शू./08/5682.----गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री आईएफसीआई लि., आईएफसीआई टावर, 61, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 59,00,000 मूल्य के टेक्सेबल रिडिमेबल, नॉन-कनवर्टीबल, बोण्डस जो कि प्रोमिजरी नोट के रूप में है जिनकी पृथक संख्या 2010000001 से 2010000059 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 1900 (रुपये एक हजार नौ सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

F. No. 10(735)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/5682.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of - PART IV]

sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of ...dia, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. IFCI Limited, IFCI Tower, 61, Nehru Place, New Delhi-110019, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1900 (Rs. One Thousand Nine Hundred only) on the aggregate value of Rs. 59,00,000 for taxable redeemable non-convertible bonds in the nature of promissory note with distinctive Nos. 2010000001 to 2010000059 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (669)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/ 5683.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री अहलस्ट्रोम फाईबरकम्मोजिटस इंडिया प्रा. लि., 121, अंसल भवन, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 105,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1 से 10,50,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 10,50,000 (रुपये दस लाख पत्तास हजार) के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

F. No. 10(669)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/5683.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Ahlstrom Fibercomposites India Private Limited, 121, Ansal Bhawan, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110 001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 10,50,000 (Rs. Ten Lac Fifty Thousand) only on the aggregate value of shares of Rs. 105,00,0000 for equity Share certificates with distinctive Nos. 1 to 10,50,00,000 to be issued by the said company.

दिल्ली, 24 जून, 2009

सं. फा. 10 (723)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/5693.---गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री फार ईस्ट मार्केटिंग प्रा. लि., 1/7, वैस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110 008, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 36,56,800 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 19,30,521 से 19,67,088 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 3657 (रुपये तीन हजार छ: सौ सत्तावन) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 24th June, 2009

F. No. 10(723)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/5693.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. FAR EAST MARKETING PRIVATE LIMITED, 1/7, West Patel Nagar, New Delhi-110 008, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 3657 (Rs. Three Thousand Six Hundred Fifty Seven) only on the aggregate value of shares of Rs. 36,56,800 for equity Share Certificates with distinctive Nos. 19,30,521 to 19,67,088 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (724)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/ 5694.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री महाराजा एपलाइन्सेस लि., 1/7, वैस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली–110 008, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 11,28,07,500 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 19,19,071 से 30,47,145 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 1,12,808 (रुपये एक लाख बारह हजार आठ सौ आठ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(724)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/5694.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Maharaja Appliances Limited, 1/7, West Patel Nagar, New Delhi-110008, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1,12,808 (Rs. One Lac Twelve Thousand Eight Hundred Eight) only on the aggregate value of shares of Rs. 11,28,07,500 for equity share certificates with distinctive Nos. 19,19,071 to 30,47,145 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (703)/मु. स. (मुख्या)/शु/08/5699---गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री जी डी गोइनका प्रा. लि., एन-85, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110 001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 10,61,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 3,62,46,154 से 4,68,56,153 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 1,06,100 (रुपये एक लाख छ: हजार एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(703)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/5699.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. G D Goenka Private Limited, N-85, Connaught Place, New Delhi-110 001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1,06,100 (Rs. One Lac Six Thousand One Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 10,61,00,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 3,62,46,154 to 4,68,56,153 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (707)/मु. स. (मुख्या)/स.शु,/08/5700.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री प्रेक्सस हैल्थ इंडिया प्रा. लि., आर-ए 4 सोप, इन्द्रपुरी, नई दिल्ली-110012, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 2,14,84,240 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 36,20,834 से 46,95,045 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 21,485 (रुपये इक्कीस हजार चार सौ पिचासी) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

F. No. 10(707)/COS(HQ)/Cons. Duty/09/5700.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Prexus Health India Private Limited, R-A-4 (Shop), Inderpuri, New Delhi-110 012, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 21,485 (Rs. Twenty One Thousand Four Hundred Eight Five) only on the aggregate value of shares of Rs. 2,14,84,240 for equity share certificates with distinctive Nos. 36,20,834 to46,95,045 to be issued by the said company. सं फा. 10 (739)/मु. स. (मुख्या)/स.शु,/08/5701.---गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(र दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री डाटाटेक मेथोडेक्स प्रा. लि., 605, मेघदूत बिल्डिंग, 94, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110 019, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 74,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10,001 से 3,80,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 7400 (रुपये सात हजार चार सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

F. No. 10(739)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/5701.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. DATATEC METHODIX PRIVATE LIMITED, 605, Meghdoot Building, 94, Nehru Place, New Delhi-110 019, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 74,00 (Rs. Seven Thousand Four Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 74,00,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 10,001 to 3,80,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (705)/मु. स. (मुख्या)/स.शू./08/ 5702.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री केमटल लिथियम इंडिया प्रा. लि., इंडो-जर्मन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जर्मन हाउस, 2, न्याय मार्ग, नई दिल्ली-110 021, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 19,99,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 001 से 1999 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 1999 (रुपये एक हजार नौ सौ निन्यानवे) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

F. No. 10(705)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/5702.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Chemetall Lithium India Private Limited, Indo-German Chamber of Commerce, German House, 2, Nyaya Marg, New Delhi-110 021, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1999 (Rs. One Thousand `'ine Hundred Ninety Nine) only on the aggregate value of shares of Rs. 19,99,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 001 to 1999 to be issued by the said company.

दिल्ली, 29 जून, 2009

सं. फा. 10 (722)/मु. स. (मुख्या)/स.श्./08/5786.---गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री मैक्स न्यू यार्क लाइफ इन्श्योरेन्स कम्पनी लि, मैक्स हाउस, 1 डा. झा मार्ग, ओखला, नई दिल्ली-110020, द्वारा अग्रिम मुद्रांक शुल्क के रूप में रुपये 50,00,000/-(रुपये पचास लाख) केवल जो कि उनके द्वारा जून 2009 से सितम्बर, 2009 तक जारी की जाने वाली विभिन्न बीमा पोलिसियों पर देय होगा । कम्पनी उक्त अवधि के समाप्त होने के तुरन्त बाद या उक्त मुद्रांक शुल्क के पूरी तरह उपयोग होने के तुरन्त बाद जो भी पहले हो इस राशि के उपयोग का प्रमाण पत्र जो कि चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा जारी एवं प्राधिकत अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हो इस कार्यालय में जमा करेगी ।

Delhi, the 29th June, 2009

F. No. 10(722)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/5786.---In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Max New York Life Insurance Company Limited, Max House, 1 Dr. Jha Marg, Okhla, New Delhi-110020 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 50,00,000/- (Rs. Fifty Lac) only in advance chargeable on various policies of Insurance to be issued by the said company during the period June, 2009 to September, 2009 subject to condition that company shall submit a certificate issued by Chartered Accountant and countersigned by Authorized Signatory regarding the utilization of above said stamp duty paid immediately after completion of above said period or after consumption of above amount whichever is earlier.

दिल्ली, 30 जून, 2009

सं. फा. 10 (468)/मु. स. (मुख्या)/स.शु,/08/5796.---गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजध ानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश

2408 06/09-3

देते हैं कि सर्वश्री कैरियर लांचर एजुकेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड सर्विसेज लि., ए-703, सरिता विहार, नई दिल्ली-110 044, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 1,25,00,000/- मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 0007638759 से 0007716883 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 12,500/- (रुपये बारह हजार पांच सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

Delhi, the 30th June, 2009

F. No. 10(468)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/5796.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Career Launcher Education Infrastructure and Services Limited, A-703, Sarita Vihar, New Delhi-110044 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 12,500 (Rs. Twelve Thousand Five Hundred) only on the aggregate value of share of Rs. 1,25,00,00/- for equity Share certificates with distinctive Nos. 0007638759 to 0007716883 be issued by the said company.

सं. फा. 10 (704)/मु. स. (मुख्या)/स.शू./08/5801.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार को अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री अक्षता पोलीमर्स प्रा. लि., हाउस नं. 16, खसरा नं. 3/23, कमरूदीन नगर, नांगलोई एक्सटेंशन-IV, नई दिल्ली-110 041, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 35,00,000/-मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10001 से 45000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 3500/- (रुपये तीन हजार पांच सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्यनी करेगी ।

F. No. 10(704)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/5801.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Akshata Polymers Private Limited, House No. 16, Khasra No. 3/23, Kamruddin Nagar, Nangloi Extension-IV, New Delhi-110041 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 3,500/-(Rs. Three Thousand Five Hundred) only on the aggregate value of share of Rs. 35,00,00/- for equity Share certificates with distinctive Nos. 10001 to 45000 be issued by the said company.

सं. फा. 10 (737)/मु.स. (मुख्या)/स.शु./08/5802.---गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक 'शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री प्रिमियर इन इंडिया प्रा. लि., 28, ईसीई हाउस, पहली मंजिल, के. जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 46,91,00,000/- मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 14136001 से 32900000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 4,69,100/- (रुपये चार लाख उन्नतर हजार एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

F. No. 10(737)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/5802.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Premier Inn India Private Limited, 28, ECE House, 1st Floor, K. G. Marg, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 4,69,100 (Rs. Four Lac Sixty Nine Thousand One Hundred) only on the aggregate value of share of Rs. 46,91,00,000/- for equity Share certificates with distinctive Nos. 14136001 to 32900000 to be issued by the said company.

दिल्ली, 1 जुलाई, 2009

सं. फा. 10 (727)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/5813.--गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री एटीसी टावर कम्पनी ऑफ इंडिया प्रा. लि., एस-2 लेवल, अपर ग्राउंड फ्लोर, ब्लाक-एफ, इंटरनेशनल ट्रेड टावर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 11,20,35,920 मूल्य के इक्वियटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 49808581 से 61012172 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 1,12,036/- (रुपये एक लाख बारह हजार छत्तीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

Delhi, the 1st July, 2009

F. No. 10(727)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/5813.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. ATC Tower Company of India Private Limited, S-2 Level, Upper Ground Floor, Block F, International Trade Tower, Nehru Place, New Delhi-110019 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1,12,036 (Rs. One Lac Twelve Thousand Thirty Six) only on the aggregate value of share of Rs. 11,20,35,920/- for equily Share certificates with distinctive Nos. 49808581 to 61012172 be issued by the said company.

सं. फा. 10 (685)/मु. स. (मुख्या)/स.शु, /08/5824.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लि., ऊर्जानिधि, 1, बाराखंभा लेन,कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 146,90,00,000/- मूल्य के अनसेक्योर्ड, रिडिमेबल, नॉन-कनवर्टीबल, नॉन-कम्यूलेटिव, टेक्सेबल बोण्ड्स जो कि डिबेंचर (2014) के रूप में है जिनकी पृथक संख्या 00000001 से 00001469 (सीरीज 55-बी) है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

F. No. 10(685)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/5824 .--- In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Power Finance Corporation Limited, Urjanidhi, 1, Barakhamba Lane, Connaught Place, New Delhi-110001, a consolidated stamp shall pay dutv of Rs. 25,00,000/- (Rs. Twenty Five Lakh) only on the aggregate value of debentures of Rs. 146,90,00,000/- for issue of Unsecured, redeemable, Non Convertible, Non cumulative, taxable bonds in the nature of debentures (2014) Series 55-B bearing distinctive Nos. 00000001 to 00001469 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (686)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/5825.----गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लि., उर्जानिधि 1, बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110 001 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 877,00,00,000/- मूल्य के अनसेक्योर्ड, रिडिमेबल, नन कनवर्टीबल, नन कम्प्यूलेटिव, टेक्सेबल बोण्डस जो कि डिबेन्चर (2012) के रूप में है जिनकी पृथक संख्या 00000001 से 00008770 (सीरीज 55-A) है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 25,00,000/-(रुपये पच्चीस लाख) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

F. No. 10(686)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/5825 .---

exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Power Finance Corporation Limited, Urjanidhi, 1, Barakhamba Lane, Connaught Place, New Delhi-110001, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 25,00,000/- (Rs. Twenty Five Lakh) only on the aggregate value of debentures of Rs. 877,0000,000/- for issue of Unsecured, redeemable, Non Convertible, Non cumulative, taxable bonds in the nature of debentures(2012) Series 55-A bearing distinctive Nos. 00000001 to 00008770 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (673)/मु. स. (मुख्या)/स.शु. /08/5826.---गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स ट्रीजम फाइनेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि., चौथी मंजिल टावर-1, एनबौसीसी प्लाजा, सेक्टर-5, पुष्प विहार, साकेत, नई दिल्ली-110017 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 100,00,00,000/- मूल्य के अनसेक्योर्ड, रिडिमेबल, नन कनवर्टीबल, सुबोरडीनेटिड टियर II बोण्डस जो कि प्रोमोजरी नोट के रूप में है जिनको पृथक संख्या 001 से 750, सीरीज 9.50% (एमबी-XXXVIII) और 001 से 250 सीरीज 9.50% (एमबी-XXXIX) है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 10,00,000/-(रुपये दस लाख) केवल के समेंकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(673)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/5826 .---In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Tourism Finance Corporation of India Limited, 4th Floor, Tower-1, NBCC Plaza, Sec-V, Pushp Vihar, Saket, New Delhi-110017 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 10,00,000/- (Rs. Ten Lac) only on the aggregate value of Rs. 100,00,00,000/- for unsecured redeemable non-convertible subordinated tier II bonds in the nature of promissory note Series 9.50% (MB-XXXVIII) bearing distinctive Nos. 001 to 750 and Series 9.50% (MB-XXXIX) bearing distinctive Nos. 001 to 250 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (728)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/5827. —-गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स बुस्सन ऑटो फाईनेन्श इंडिया प्रा. लि., मैट्रोपोलिटन सेन्टर, बंगला साहिब रोड, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 100,00,00,000/- मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 5,00,00,001 से 15,00,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 10,00,000/- (रुपये दस लाख) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी । राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश से,

विनय कुमार, संयुक्त सचिव (राजस्व)

F. No. 10(728)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/5827.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. BUSSAN AUTO FINANCE INDIA PRIVATE LIMITED, The Metropolitan Centre, Bangla Sahib Road, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 10,00,000/- (Rs. Ten Lac) only on the aggregate value of shares of Rs. 100,00,000/-for equity Share certifiactes with distinctive Nos. 5,00,00,001 to 15,00,00,000 to be issued by the said company.

By order

of Chief Controlling Revenue Authority Govt. of National Capital Territory of Delhi, VINAY KUMAR, Jt. Secy. (Reveneue)

139